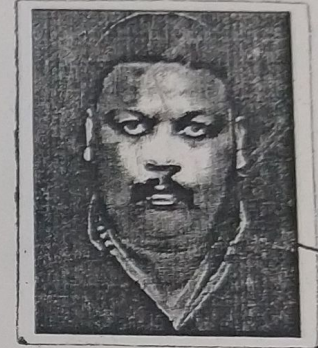




प्रदेश UTTAR PRADESH

F 138409

F 138409



विक्रय-पत्र

बिक्री 7,50,000/-

मालियत 9,51,000/-

स्टाम्प 66,600/-

लेख-पत्र का संक्षिप्त विवरण :

- | | | | |
|----|----------------|---|-----------|
| 1. | भूमि का प्रकार | - | कृषि |
| 2. | परगना | - | प्रतापगंज |
| 3. | ग्राम | - | छेदानगर |

वी-कोड-1351 पृष्ठ-96

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

27 JAN 2016

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

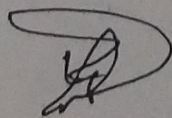
B 309623

B 309623

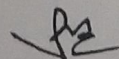
(2)

- | | | | |
|----|-----------------------|---|-----------|
| 4. | सम्पत्ति का विवरण नं० | - | 1246 |
| 5. | मापन की इकाई | - | हे० |
| 6. | क्षेत्रफल | - | 0.066 हे० |
| 7. | सड़क की स्थिति | - | कुछ नहीं |

7104 88H









₹. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY
THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

27 JAN 2016



UTTAR PRADESH

B 309622

B 309622

(3)

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------|
| 8. अन्य | - | कुछ नहीं |
| 9. सम्पत्ति का प्रकार | - | कृषि/सड़क से हटकर |
| 10. पेड़ों का मूल्यांकन | - | कुछ नहीं |
| 11. बोरिंग कुआं व अन्य | - | कुछ नहीं |





UTTAR PRADESH

AS 684228

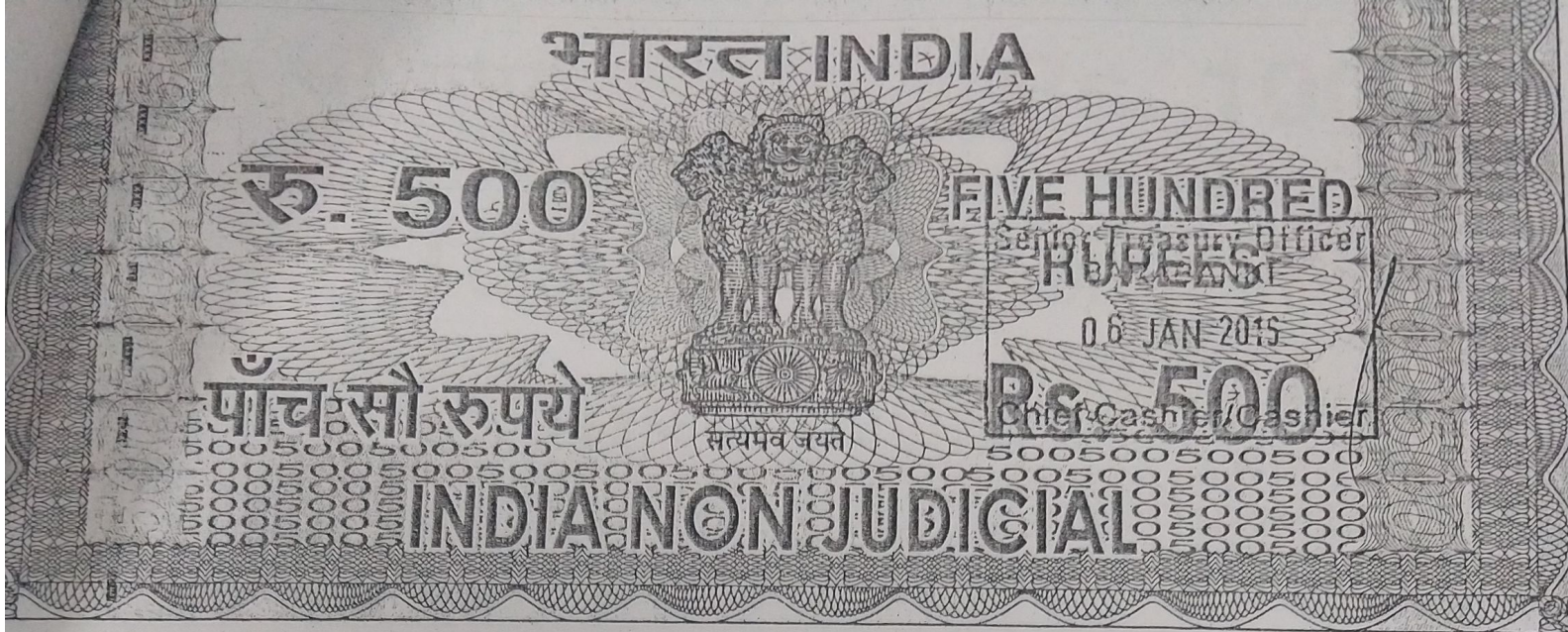
(4)

12. सरकारी दर - 72,00,000/- प्रति हे0
13. प्रतिफल की धनराशि - 7,50,000/-

14. चौहद्दी गाटा संख्या 1246

पूरब खेत गाटा संख्या 1245 व 1247 पश्चिम खेत गाटा संख्या 1217 उत्तर खेत गाटा संख्या 1315 दक्षिण खेत गाटा संख्या 1244.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 963570

(5)

प्रथम पक्ष संख्या 1
विक्रेता का विवरण

द्वितीय पक्ष संख्या 1
क्रेता का विवरण

महिपाल सिंह पुत्र नन्हूँ उर्फ नान्हूँ
निवासी ग्राम छेदानगर परगना
प्रतापगंज तहसील नवाबगंज
जिला बाराबंकी।
नि०का०सं०-UP/29/142/621265
Mobile No. : 9936695622

स्टैलियन इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि०
Cin No. U70102UP2014PTC067353
द्वारा डायरेक्टर विशाल पुत्र सुजान
निवासी म०नं०-41 मोहल्ला विशम्भरपुं
गनियारी परगना व तहसील व जिला
देवरिया।
PAN-ANQPC5778A
Mobile No. 7800001250



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIAN NON JUDICIAL

14 JAN 2018

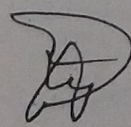
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

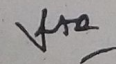
CW 078169

(6)

-:: लेखपत्र का सम्पूर्ण विवरण ::-

हम महिपाल सिंह पुत्र नन्हूँ उर्फ नान्हूँ निवासी ग्राम छेदानगर परगना प्रतापगंज तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी प्रथम पक्ष विक्रेता व स्टैलियन इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर विशाल पुत्र सुजान निवासी म०नं०-41 मोहल्ला विशम्भरपुर गनियारी परगना व तहसील व जिला देवरिया द्वितीय पक्ष क्रेता। हम दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं एवं दोनों पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं।---



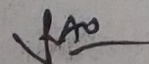
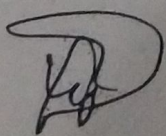




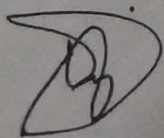
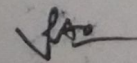


(7)

जोकि मैं प्रथम पक्ष आराजी भूमिधरी नम्बर 1246 रकबा 0.132हे0 जो ग्राम छेदानगर परगना प्रतापगंज तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी में स्थित है जिसका प्रथम पक्ष 1/2 भाग की भूमि का पूर्णया स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर है जो आज तक हर प्रकार के बन्धक व हस्तान्तरण आदि से शुद्ध व मुक्त प्रथम पक्ष के स्वामित्व व कब्जे में है कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित या साझीदार नहीं है। अतः मैं प्रथम पक्ष अपनी शुद्ध बुद्धि व सचेत दशा में बिना किसी जोर या दबाव के स्वेच्छा से उपरोक्त अपने 1/2 भाग (0.066हे0) भूमि को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार सहित मु0 7,50,000/- सात लाख पचास हजार रूपया जिसके आंधे 3,75,000/- तीन लाख पछहत्तर हजार रुपये होते हैं के बदले में द्वितीय पक्ष के हाथ बेंच दिया तथा कुल विक्रय मूल्य इस विक्रय पत्र लिखने के पहले ही प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से वसूल पा चुका है अब विक्रय मूल्य में से कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। अतः आज की तारीख से बिक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष ने अपने ही समान द्वितीय पक्ष का पूर्ण अधिकार व कब्जा करा दिया। इकरार करता हूँ कि अब आज से मुझ प्रथम पक्ष या मेरे किसी उत्तराधिकारी या अन्य व्यक्ति का कोई स्वत्व या सम्बन्ध बिक्रीत भूमि में शेष नहीं रहा द्वितीय पक्ष पूर्णतया स्वामी है जो चाहे करे व बिक्रीत भूमि का दाखिल खारिज इस विक्रय-पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष अपने नाम करा लेवे। यदि किसी की दावेदारी से बिक्रीत भूमि या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के स्वामित्व व कब्जे से निकल जावे तो उसकी वापसी विक्रय मूल्य हर्जा व खर्चा न्यायालय अर्थात् उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष व उसके बाद उसके वारिसान पर होगी।-----



अस्तु यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे। बिक्रीत भूमि किसी मुख्य मार्ग या अन्य मार्ग या खड़न्जा मार्ग पर नहीं है। इससे सम्बन्धित इससे पूर्व कोई इकरारनामा वय नहीं किया है। यह प्रथम पक्ष की पुश्तैनी सम्पत्ति है इसमें कोई निर्माण नहीं है तथा बिक्रीत भूमि में पेड़ व बोरिंग व कुओं व अन्य कोई निर्माण नहीं है। इसकी 0 से 200 मीटर की त्रिज्या के मध्य कोई आवासीय व औद्योगिक व व्यवसायिक गतिविधि नहीं है। बिक्रीत भूमि वर्तमान समय में पूर्णतया कृषि भूमि है बिक्रीत भूमि की मालियत सरकार द्वारा निर्धारित 72,00,000/- रूपया प्रति हे० की दर से व बिक्रीत भूमि का रकबा 0.102हे० से कम होने के कारण दोगुनी दर से मालियत मु० 9,51,000/- रूपया होती है जिस पर अधिसूचना आदेश संख्या स०वि०क०नि०-5-2756/11-2008-500(165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अन्तर्गत मु० 66,600/- रु० के स्टाम्प दिये गये हैं। चौहद्दी गाटा संख्या 1246-पूरब खेत गाटा संख्या 1245 व 1247 पश्चिम खेत गाटा संख्या 1217 उत्तर खेत गाटा संख्या 1315 दक्षिण खेत गाटा संख्या 1244. लेख पत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का पूर्णतया सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उक्त विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा दिये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी हम दोनों पक्षों पर होगी। उक्त बिक्रीत भूमि में कोई स्टाम्प वाद नहीं है व कोई मध्यस्थ नहीं है। लेखपत्र को उभय पक्षों ने भली-भांति पढ़ व सुन व समझकर हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा किया है।-----

आज दिनांक 29/01/2016 को ✓
वही सं. 1 जिल्द सं. 9325
पृष्ठ सं. 51 से 78 पर कर्मांक 1815 ✓
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दीनो कैरी यादव
उप निवन्धक नवावगंज
बाराबंकी
29/1/2016

